-1-

TEN RUPEES COURT FEE INDIA दस रुपये

117

C-1295/51

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

सुरेशचन्द वल्द खुशालचन्द जैन
साकिन फलौन तहसील तेन्दूखेड़ा जिला दमोह(म०प्र०) - निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमति इन्द्राणी देवी बेवा लालचन्द जैन
साकिन फलौन,तह० तेन्दूखेड़ा जिला दमोह == == अनावेदिका

रिवीजन अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०संहिता १९५९-

उपरोक्त नामांकित रिवीजन कर्ता (निम्न न्यायालय में प्रति अपीलार्थी) निम्न न्यायालय श्रीमान सी०एल०बहमे अतिरिक्त कमिश्नर,सागर संभाग,सागर के निर्णय व आदेश जो कि उन्होने अपील प्र०क्रमांक ८३।अ-६।२०००-०१ पक्षकार श्रीमति इन्द्राणी देवी विरुद्ध सुरेशचन्द मे दिनांक २०।६।२००१ को पारित किया है,तथा जिसके अनुसार उन्होने अनावेदिका (निम्न न्यायालय मे अपीलार्थी) की अपील मन्जूर की है,एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा जिला दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक १७।१०।२००० एवं श्रीमान नायब तहसीलदार तेन्दूखेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक ३०।८।२००० को निरस्त किया है,से दुखित होकर विधि एवं तथ्यो के अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य-

(१) यह कि,प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस पकार है कि स्व० लालचन्द जैन की विवाहिता पत्नि छबीली उर्फ छबरानी जैन थी,जो कि स्व० लालचन्द की एकमात्र वैध पत्नि थी। स्व० लालचन्द ने इन्द्राणी (अनावेदिका) को अपनी दास्ता औरत बनाकर दमोह में रखा था। छबीली उर्फ छबरानी के कोई संतान नही थी। इन्द्राणी से एक पुत्र दीपक उत्पन्न हुआ था,जो एक डेढ़ वर्ष पूर्व फौत हो गया है।

-२

R 1231-5/01 [illegible]

9.9.16	9.9.16 पत्रावली पेश। दिनांक 8.7.16 को आवेदकगण को वारिसान आवेदकगण पेश प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाने के परन्तु आज दिनांक तक इसका पालन नहीं किया [illegible] अतः प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। प्रकरण खारिज हुआ। आवश्यक कार्यवाही बाद दाखिल रिकॉर्ड हो। [signature] तहसीलदार

B [illegible]